झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

पत्रांकः-03/कृ0रा0यो0-14/2022 52 /कृ0, राँची, दिनांकः- 16.08.2024

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :-वित्त (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार) विभाग।

विषयः- राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजना अन्तर्गत पम्प सेट, मिनी ट्रैक्टर एवं अन्य यंत्र तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लिए अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान हेतु कुल रू0 4300.00 लाख (तैतालीस करोड़ रू0) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

1.0 <u>योजना प्रस्तावना</u> -

1.1 आधुनिक युग में कृषि यांत्रिकीकरण एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें यांत्रिकीकरण की सहायता से कृषि कार्य हेतु मजदूर ना मिलने की समस्या से बहुत हद तक मुक्त हुआ जा सकता है। कृषि यांत्रिकीकरण से कृषि उपज में बढ़ोतरी होती है एवं समय की बचत भी होती है। उन्नत कृषि यंत्रों की सहायता से एवं सिंचाई हेतु पम्प सेट के उपयोग से कृषि उपज में लगभग 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि सम्भव है। झारखण्ड राज्य में लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या अधिक होने, खेत का रकबा छोटा होने के कारण मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर एवं छोटे कृषि यंत्रो के उपयोग से समय पर जुताई, बुआई, कटाई, थ्रेसिंग, अनाजों की सफाई, फसल प्रसंस्करण इत्यादि कार्यो से कृषि विकास दर में वृद्धि के साथ क्षेत्र के कृषक परिवार की आय में दुगुनी वृद्धि संभव हो सकता है।

झारखण्ड राज्य में कृषि कार्य में कृषि यांत्रिकीकरण की व्यापक भूमिका को देखते हुए कृषि कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु विगत वर्षो में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को पम्प सेट के साथ एच.डी.पी.ई. पाईप, सोलर पम्प सेट (ट्राली मॉउटेड मोवेबल टाईप) एवं मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, सहायक कृषि यंत्र, कृषि प्रसंस्करण यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराते हुए छोटे कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की गयी।

1.2 कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजना एक चालू योजना है। गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना अन्तर्गत पम्प सेट वितरण उपयोजना हेतु राशि रू. 1700.00 लाख, छोटे कृषि उपकरण बैंक उपयोजना हेतु राशि रू. 1700.00 लाख एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु रू. 300.00 लाख, इस प्रकार कुल रू. 3700.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2.0 वर्तमान वित्तीय वर्ष का बजट एवं योजना की विकलनीय राशि

2.1 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में "कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण" योजना अंतर्गत कुल रू0 20000.00 लाख (दो सौ करोड़ रू0) का बजटीय उपबंध स्वीकृत है, जिसमें से पम्पसेट एवं 200 फीट एच.डी.पी.ई. पाईप तथा 1.00 हार्स पावर का सोलर पम्प सेट (ट्राली माउंटेड मोवेबल टाईप) के वितरण योजना हेतु रू0 2000.00 लाख (बीस करोड़ रू0) एवं छोटे कृषि उपकरण बैंक का पैकेज हेतु मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, सहायक कृषि यंत्र, राईस ट्रांसप्लांटर, कृषि प्रसंस्करण यंत्र इत्यादि, व्यक्तिगत कृषकों को कृषि यंत्रों के वितरण हेतु रू0 2000.00 लाख (बीस करोड़ रू0) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान हेतु रू0 300.00 लाख (तीन करोड़ रूपया) मात्र अर्थात रू0 4300.00 लाख (तैतालीस करोड़ रू0) की योजना स्वीकृति दी जाती है।

2.2 वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल बजटीय उपबंध रू0 20000.00 लाख (दो सौ करोड़ रू0) में से रू0 4300.00 लाख (तैतालीस करोड़ रू0)की राशि को निम्नवत् व्यय किया जायेगा-

(राशि लाख रू में)

बजट शीर्ष	कुल बजटीय उपबंध (राशि लाख रू. में)	पम्पसेट वितरण उपयोजना हेतु विकलनीय राशि	छोटे कृषि उपकरण बैंक वितरण उपयोजना हेतु विकलनीय राशि	एनफएसएम योजना हेतु अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान हेतु विकलनीय राशि	कुल स्वीकृत राशि
मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष -113, कृषि इंजीनियरी उपशीर्ष-BA-कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण, उपयोजनाशीर्ष-01- कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी, 01-S-2401-00-113-BA-01-06-52	6000.00	600.00	600.00	90.00	1290.00
मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- BA-कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण उपयोजनाशीर्ष-01- कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी, 01-S-2401-00-789-BA-01-06-52	2000.00	200.00	200.00	30.00	430.00
मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि-कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-BA-कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण उपयोजनाशीर्ष-01- कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी, 01-S-2401-00-796-BA-01-06-52	12000.00	1200.00	1200.00	180.00	2580.00
कुल योग	20000.00	2000.00	2000.00	300.00	4300.00

कुल रू0 4300.00 लाख (तैतालीस करोड़ रू0) मात्र

52
16/08/2024

3.0 योजना विवरण एवं लक्ष्य–

3.1 पम्पसेट वितरण– इस उपयोजना हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में विवरणी–1 के अनुसार **रु0 2000.00 लाख (बीस करोड़ रू0)** की राशि स्वीकृति दी जाती है। यह योजना झारखण्ड राज्य के सभी जिलो में लागू होगी। इस योजना के अन्तर्गत छोटे और सीमान्त कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल/कृषक समूह/लैम्पस–पैक्स को एक पम्प सेट (1.5–3.0 एच0पी0 तथा 3.5–5.0 एच0पी0) एवं 200 फीट HDPE पाईप (63-75 mm) के क्रय पर अनुदान की राशि उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर वास्तविक लागत का 90 प्रतिशत (अधिकतम 1.5–3.0 HP एवं 200 फीट HDPE पाईप 63-75mm पर रू0–20000/– तथा 3.5–5.0HP एवं 200 फीट HDPE पाईप 63-75 mm पर रु0–30000/–), 1.00 हार्स पावर का सोलर पम्प सेट (ट्राली मॉउटेड मोवेबल टाईप) के वितरण पर 90 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान रु0 90,000/– (नब्बे हजार रुपये) देय होगा।

इस योजनान्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में विवरणी–1 के अनुसार 1.5–3.0 एच0पी0 के 7180 पम्पसेट एवं 3.5–5.0 के एच0पी0 के 740 पम्पसेट एवं 1.00 हार्स पावर का सोलर पम्प सेट (ट्राली मोवेबल टाईप) के 380 पम्प सेट अर्थात कुल 8300 पम्पसेट एवं 200 फीट एच.डी.पी.ई. पाईप (सोलर पम्प छोडकर) के साथ वितरण किया जायेगा।

कतिपय कारण से किसी जिला में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने से विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त दूसरे जिला को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित की जा सकती है। साथ ही भौतिक लक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि वित्तीय लक्ष्य के अनुसार किसी जिला में राशि अवशेष रह जाती है तो उक्त राशि से उसी जिला में अतिरिक्त भौतिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

3.2 छोटे **कृषि उपकरण बैंक** – इस उपयोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में विवरणी–2 के अनुसार **रु0 2000.00 लाख (बीस करोड़ रू0)** की राशि स्वीकृति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल/कृषक समूहों/लैम्प्स/पैक्स को राज्य के सभी जिलों में कृषक समूह के लिये योजना लागत कुल रु0 6.25 लाख का 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान रु0 5.00 लाख पर छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतु मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, सहायक कृषि यंत्र, राईस ट्रांसप्लांटर एवं कृषि प्रसंस्करण यंत्र इत्यादि के वितरण किया जायेगा, ताकि उक्त कृषि यंत्रों का स्वयं उपयोग करेंगे एवं अन्य कृषकों को भाड़े पर उपलब्ध कराकर अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। व्यक्तिगत कृषकों के लिये योजना लागत रु0 2.00 लाख का 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान रु0 1.60 लाख देय होगा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में विवरणी–2 के अनुसार 310 महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल/कृषक समूहों/लैम्प्स/पैक्स एवं 190 कृषकों अर्थात कुल 500 स्वयं सहायता समूहों/ कृषकों को मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, उसके सहायक कृषि यंत्र, राईस ट्रांसप्लांटर एवं कृषि प्रसंस्करण यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराया जायेगा।

कतिपय कारण से किसी जिला में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने से विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त दूसरे जिला को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित की जा सकती है। साथ ही भौतिक लक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि वित्तीय लक्ष्य के अनुसार किसी जिला में राशि अवशेष रह जाती है तो उक्त राशि से उसी जिला में अतिरिक्त भौतिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

52
16/08/2024

3.3 **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अतिरिक्त सहायता अनुदान–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन या के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान हेतु रू0 300.00 लाख (तीन करोड़ रुपय मात्र स्वीकृत किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत स्वीकृत राज्यादेश के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त राशि के अन्तर्गत स्वीकृत कृषि यंत्रों का भौतिक लक्ष्य ही प्रतिवेदित होगा, जिस पर अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान की राशि देय होगी।

3.4 वित्तीय वर्ष 2024–25 में कृषि उपकरण बैंक का पैकेज तैयार करने हेतु कृषि यंत्रों की सूची निम्न प्रकार से होगी –

S.No.	Detail of Agri. Machine	Total Package cost for group (Rs in lakhs)	Maximum subsidy for groups (80%) (Rs in lakhs)
1	2	3	4
01	Mini Tractor (12.0-22.50 PS max PTO) Approved model tested by FMTTI as in GoI letter) with standard Tool Kit, Seat, Hitch, hood, Drawbar Attachment, Insurance, Registration, GPS Attachement etc.	6.25	5.00
02	Power Tiller (8.5-15.5 Max horse power- ps) Approved model tested by FMTTI as in GoI letter) with standard Tool Kit, Rotary, Seat Attachment, Battery in case of Self Start, Universal mounting Frame.		
03	Power weeder/ rotary tiller		
04	Self Propelled Rice transplanter.		
05	Self Propelled Reaper		
06	Rice Huller with Polisher.		
07	Mini Rice mill		
08	Mini Tractor Compatible – Rotavator (2.5-4.0 ft)		
09	Mini Tractor Compatible Cultivator (5-7 tynes),		
10	Mini Tractor Compatible Disc Harrow (8-10)		
11	Mini Tractor Compatible seed cum fertilizer Drll		
12	Mini Tractor Compatible Cage Wheel		
13	Mini Tractor Compatible Universal mounting Frame,		
14	Paddy thresher		
15	Wheat thresher		
16	Paddy harvester		
17	Post harvest equipments - Flour Mill, Mini Dal Mill, Oil Expeller		
18	Alternator 10-15 Kw		
19	Centrifugal Pumps with suction pipe 5-8 kw compatible power source,		
20	63mm/75mm HDPE Pipe maximum upto 500 feet (BIS Certification).		
	Total cost	6.25	5.00

उक्त सारिणी के कमांक 1 से 20 तक में से महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल/कृषक समूहों/लैम्प्स/पैक्स द्वारा अपनी पसंद एवं बजट के अनुसार मिनी ट्रैक्टर अथवा पावर टीलर इत्यादि का पैकेज तैयार कर कृषि यंत्र प्राप्त कर सकेंगे, परन्तु कृषक समूह के लिये स्तम्भ–4 की अधिकतम अनुदान की राशि रु0 5.00 (पांच) लाख प्रति इकाई अपरिवर्तित रहेंगी। मिनी ट्रैक्टर पैकेज अथवा पावर टीलर या अन्य कृषि यंत्रों का पैकेज की कुल कीमत रु0 6.25 (छः लाख पच्चीस हजार) लाख से अधिक होने या अनुदान की राशि रु0 5.00 (पांच) लाख से अधिक होने पर कृषक समूह अपना अतिरिक्त अंशदान दे कर कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते है।

52
16/08/2024

उक्त सारिणी में से व्यक्तिगत कृषकों के लिये योजना लागत रु0 2.00 लाख का 80 प्रतिशत अर्थात अधिकतम अनुदान रु0 1.60 लाख देय होगा एवं इससे अधिक राशि होने पर कृषक अपना अतिरिक्त अंशदान दे कर कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते है।

आगामी वित्तीय वर्षो में इस योजना हेतु उक्त कृषि यंत्रों के अतिरिक्त अन्य कृषि यंत्रों को शामिल करने या सूची से हटाने हेतु विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

4.0 **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी**

4.1 राज्य स्तर पर निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची पम्पसेट वितरण एवं छोटे कृषि उपकरण बैंक योजना के नियंत्री एवं नोडल पदाधिकारी के साथ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4.2 कोषागार से निकासी के लिये संबंधित जिले के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का निकासी/हस्तांतरण संबंधित कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत ही राशि की निकासी/हस्तांतरण करेंगे।

4.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन हेतु राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वही होंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के राज्यादेश (जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमण्डल सह जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी) में वर्णित है।

5.0 **कार्यान्वयन एजेंसी**

5.1 **पम्पसेट वितरण**– विभागीय संकल्प संख्या–1251 दिनांक–08.05.2012 के आलोक में इस योजना का कार्यान्वयन निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची के नियंत्रण में किया जायेगा।

5.2 **छोटे कृषि उपकरण बैंक** – विभागीय संकल्प संख्या–3565 दिनांक–09.11.2012 एवं राज्यादेश सं0–95 दिनांक–31.03.2021के आलोक में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल कार्यान्वयन एजेंसी, झारखण्ड कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र (जेएएमटीटीसी), राँची होंगे।

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक फा0 नं0–8–1/2004 एम0 एण्ड टी0 (आई0 एण्ड पी0) दिनांक–03.10.2011 के द्वारा ''झारखण्ड कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र (जेएएमटीटीसी)'' की स्वीकृति झारखण्ड राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण योजना को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण मापदण्ड निर्धारण करने एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो को सम्पादित करने हेतु स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत निबंधन सं0 666/2014–15 है। इस संस्था का कार्य झारखण्ड राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना, राज्य में या राज्य से बाहर उत्पादित/विपणन किये जाने वाले कृषि उपकरण/मशीन का राज्य में उपयोग हेतु परीक्षण का कार्य करना, कृषकों को अनुदानित दर पर कृषि उपकरण/मशीन वितरण कार्य करना, आधुनिक कृषि यंत्रों का कृषि के क्षेत्र में प्रदर्शन करना आदि है।

52
16/08/2024

5.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजान्तर्गत निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में कृषि निदे. झारखण्ड/राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, झारखण्ड, रांची के नियंत्रण में योजन के मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्यान्वयन कराया जायेगा।

6.0 <u>तकनीकी समिति एवं तकनीकी मानक का निर्धारण –</u>

6.1 विभागीय योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले सभी प्रकार के पम्प सेट एवं कृषि यंत्रों की तकनीकी विशिष्टताओं तथा Expression of Interest (EOI) का निर्धारण सक्षम स्तर से गठित तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा।

6.2 पम्पसेट एवं एच.डी.पी.ई. पाईप के वितरण हेतु बी0आई0एस प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। झारखण्ड सरकार उद्योग विभाग के Procurement Policy के आलोक में MSME अंतर्गत निबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता को नियमानुसार अनुमान्य छूट दिया जायेगा।

6.3 इस योजनान्तर्गत मिनी ट्रैक्टर से तात्पर्य वैसे ट्रैक्टर से होगा जिसकी अश्व शक्ति की तीन श्रेणी यथा 12.0-15.0, ps Max पी0टी0ओ0 हार्स पावर, 15.1-20.0 ps Max पी0टी0ओ0 हार्स पावर एवं 20.1-22.50 ps Max पी0टी0ओ0 हार्स पावर With 4-wheel drive System के साथ होगा। पिछला टायर साईज 8.3-24 या इससे कम होगा एवं पी0टी0ओ0 ड्राईव अनिवार्य होगा। मिनी ट्रैक्टर का मेक एवं मॉडल भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के website https://farmech.dac.gov.in/ पर प्रकाशित सूची में होना अनिवार्य होगा।

6.4 मिनी ट्रैक्टर में जी0पी0एस0 की सुविधा दी जायेगी, ताकि उसका ऑनलाईन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सकेगा। जी0पी0एस0 की सुविधा से मिनी ट्रैक्टर के भौगोलिक स्थिति, दूरी चालन, खेती का क्षेत्रफल इत्यादि विवरण प्राप्त होगा। जेएएमटीटीसी, राँची द्वारा जी0पी0एस0 से निगरानी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तीन वित्तीय वर्षो तक की जायेगी, एवं इसका व्यय आकस्मिकता मद की निधि से किया जायेगा।

6.5 इस योजनान्तर्गत पावर टीलर से तात्पर्य वैसे Indian (Indigenous) make एवं Imported make/Marketed पावर टीलर से होगा जिसकी अश्व शक्ति की तीन श्रेणी यथा 8.5-12.0, hp max horse power (ps), 12.1-14.0 hp max horse power (ps) एवं 14.1-15.50 hp max horse power (ps) होगा। पावर टीलर का मेक एवं मॉडल भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के website https://farmech.dac.gov.in/ पर प्रकाशित सूची में होना अनिवार्य होगा।

6.6 मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, सहायक कृषि यंत्र, कृषि प्रसंस्करण यंत्र एवं राईस ट्रांसप्लांटर इत्यादि को भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के परीक्षण संस्थानो या चिन्हित परीक्षण संस्थानों द्वारा निर्गत व्यावसायिक परीक्षण रिपोर्ट या बी0आई0एस प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। झारखण्ड सरकार उद्योग विभाग के Procurement Policy के आलोक में MSME अंतर्गत निबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता को नियमानुसार अनुमान्य छूट दिया जायेगा।

6.7 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले कृषि यंत्रों का तकनीकी मानक का निर्धारण सक्षम स्तर से गठित **तकनीकी समिति** द्वारा किया जायेगा।

52
16/08/2024

7.0 लाभुक का चयन–

7.1 पम्पसेट वितरण– इस योजनान्तर्गत छोटे एवं सीमान्त कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल/कृषक समूह/लैमपस–पैक्स को पम्पसेट के साथ 200 फीट एच.डी.पी.ई. पाईप तथा 1.0 एच0पी0 सोलर पम्पसेट (ट्राली मॉउटेड मोवेबल टाईप) का वितरण किया जायेगा।

7.2 निदेशक भूमि संरक्षण सोलर पम्प सेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यकतानुसार ज्रेडा/उर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना तैयार करेंगे ताकि इच्छुक कृषकों को सोलर पम्प सेट उपलब्ध हो सके।

7.3 ग्रामीण विकास विभाग से अभिसरण स्थापित करते हुए मनरेगा अंतर्गत निर्मित सिंचाई कूपों के लाभान्वित छोटे और सीमान्त कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल/कृषक समूह के साथ भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा गत वित्तीय वर्षों में तालाब जीर्णोद्धार योजना एवं जलनिधि योजना के तहत निर्मित परकोलेशन टैंक के लाभान्वित पानी पंचायत के सदस्यों एवं अन्य सिंचाई श्रोत से लाभान्वित कृषकों को भी उक्त योजना के तहत पम्प सेट (1.5–3.0 एच0पी0 तथा 3.5–5.0 एच0पी0) एवं 200 फीट एच.डी.पी.ई. पाईप (63-75mm), 1.0 एच0पी0 सोलर पम्पसेट उपलब्ध कराया जायेगा।

7.4 संबंधित जिला के भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी का दायित्व होगा की पम्पसेट के निर्धारित भौतिक लक्ष्य को कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जिला के कुल लक्ष्य को विखंडित करते हुए प्रखण्डवार लक्ष्य का निर्धारण करेंगे एवं इसकी सूचना भूमि संरक्षण निदेशालय/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ पंचायत प्रमुख/ पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि को देंगे।

7.5 **छोटे कृषि उपकरण बैंक–** ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या–6481 दिनांक–15.12.2015 के द्वारा झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (JSLPS) को राज्य में स्वयं सहायता समूह एवं उनके संगठनों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। उक्त क्रम में जिला प्रोग्राम मैनेजर, झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी के साथ स्वयं सहायता समूहों के चयन में आवश्यक समन्वय स्थापित किया जायेगा।

7.6 जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी–2 के अनुसार स्वयं सहायता समूहों की विवरणी के आधार पर सूची तैयार की जायेगी। संबंधित जिला के भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी का दायित्व होगा की निर्धारित लक्ष्य की अनुमोदित सूची की सूचना भूमि संरक्षण निदेशालय/जेएएमटीटीसी, राँची/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/पंचायत प्रमुख/पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि को देंगे।

स्वयं सहायता समूहों के गठन में कम से कम 10 से 12 सदस्य होना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूहों के विवरण एवं अनुशंसा हेतु विहित प्रपत्र परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 के रूप में संलग्न है।

7.7 झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी से निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप किसी जिला में महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल, कृषक समूहों की विवरणी ससमय प्राप्त नहीं होने पर अन्य संस्थाओं द्वारा गठित महिला स्वंय सहायता समूहों, जलछाजन समितियों के स्वयं सहायता समूहो, लैम्पस–पैक्स या अन्य कृषक समूहों को योजनान्तर्गत आच्छादित किया जायेगा।

52
16/08/2024

7.8 छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना में वैसे महिला स्वयं सहायता समूहों/ महिला सखी कृषक समूहों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिस समूह के सदस्यों के पास खेती योग्य कुल 10.0 एकड़ से अधिक भूमि होगी। वैसे समूहों को भी प्राथमिकता दी जायेगी जिस समूह के सदस्यों मे से कम से कम किसी एक सदस्य के पास ट्रैक्टर/वाहन (LMV) चालन का वैध लाइसेंस होगा। योजना के सफल संचालन हेतु संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मिनी ट्रैक्टर का निबंधन एवं समूह के सदस्यों को ट्रैक्टर चालन का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस योजनान्तर्गत विवरणी-2 में वर्णित कुल भौतिक/वित्तीय लक्ष्य का न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल या अन्य महिला समूहों को स्वीकृत किया जायेगा। विवरणी-2 के लक्ष्य के अनुसार व्यक्तिगत प्रगतिशील कृषकों के लिये वैसे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिस कृषक परिवार के पास खेती योग्य 2.00 एकड़ से अधिक भूमि होगी।

इस योजनान्तर्गत विवरणी-2 में अंकित संबंधित जिला के समूहों के भौतिक लक्ष्य का 50 प्रतिशत क्षेत्र के माननीय विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुए "जिला स्तरीय समिति" द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

7.9 झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी एवं अन्य संस्थाओं द्वारा गठित महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल, कृषक समूहों, लैम्पस-पैक्स एवं माननीय विधायक से अनुशंसित कृषको की सूची के अनुमोदन एवं क्रियान्वयन की स्वीकृति की सूचना जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल, कृषक समूहों, लैम्पस-पैक्स एवं कृषको को दी जायेगी।

7.10 अनुमोदित महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल/कृषक समूहों/लैम्पस-पैक्स के द्वारा कृषि उपकरण बैंक की स्थापना एवं व्यक्तिगत कृषकों द्वारा कृषि उपकरणों के क्रय हेतु कुल वास्तविक लागत का 20 प्रतिशत् अंशदान की राशि समूह/कृषक द्वारा बैंक खाते मे जमा होने का साक्ष्य संबंधित भूमि संरक्षण कार्यालय को दिया जायेगा।

7.11 जिन महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल, कृषक समूहों, लैम्पस-पैक्स एवं प्रगतिशील कृषकों को पूर्व में कृषि विभाग द्वारा कृषि उपकरण बैक की स्थापना या अन्य किसी योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना या राज्य योजना) के माध्यम से कंडिका-3.4 में वर्णित कृषि यंत्रों/पम्पसेट/एन.एफ. एस.एम. योजना में प्राप्त कृषि यंत्र में से जो कृषि यंत्र पूर्व में प्राप्त किया गया होगा, उन यंत्रों को छोड़कर ही अन्य कृषि यंत्रों के लिए पात्रता होगी।

7.12 संबंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल, कृषक समूहों, लैम्पस-पैक्स एवं प्रगतिशील कृषकों के अंशदान की राशि संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के बैंक खाते में बैंक ड्राफ्ट या RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराये जाने के पश्चात संबंधित लाभुक से लिखित आपूर्ति आदेश, घोषणा पत्र के रूप में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को दिलायेंगे एवं इसकी सूचना नियंत्री पदाधिकारी निदेशक भूमि संरक्षण एवं कार्यान्वयन एजेंसी जेएएमटीटीसी, राँची को देंगे।

52
16/08/2024

7.13 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक जिन लाभुकों का चयन किया गया है उन्हीं को राज्य योजना से अतिरिक्त सहायता अनुदान दिया जायेगा।

8.0 **जिला स्तरीय समिति–** पम्पसेट वितरण एवं छोटे कृषि उपकरण बैक की स्थापना हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल, कृषक समूहों, लैम्पस–पैक्स एवं प्रगतिशील कृषकों कि सूची तैयार करने के पश्चात संबंधित जिला के उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ''जिला स्तरीय समिति'' के द्वारा तैयार सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

इस ''जिला स्तरीय समिति'' में उप विकास आयुक्त/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी या भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी (सदस्य सचिव के रूप में)/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम मैनेजर, झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी एवं उपायुक्त के द्वारा नामित/मनोनित अन्य सदस्य रखे जा सकेंगे।

9.0 **प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षणः –**

9.1 योजना के संदर्भ में पूरी जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के संदर्भ में पूरी जानकारी निदेशक भूमि संरक्षण झारखण्ड राँची एवं जेएएमटीटीसी के द्वारा वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जायेगा।

9.2 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल, कृषक समूहों/लैम्प्स/पैक्स एवं प्रगतिशील कृषकों को मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, उसके सहायक कृषि यंत्र, कृषि प्रसंस्करण यंत्र एवं राईस ट्रांसप्लांटर इत्यादि के चयन एवं पैकेज तैयार करने, परिचालन, रख रखाव हेतु जेएएमटीटीसी एवं जैसमीन के प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा आकस्मिकता मद से प्रशिक्षण/ आवश्यक मशीन का क्रय/प्रदर्शन की व्यवस्था किया जायेगा।

10.0 **योजना का अभिसरण–**

10.1 प्रत्येक प्रखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत सिंचाई कूपों का निर्माण किया गया है। ऐसे छोटे और सीमान्त कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल/कृषक समूह जिनको मनरेगा सिंचाई कूप उपलब्ध है को कूप के आकार के अनुरूप सिंचाई पम्प सेट एवं पाईप हेतु अनुदान की राशि विमुक्त किया जायेगा। ऐसी सूची भूमि संरक्षण के जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा उप विकास आयुक्त के साथ समन्वय स्थापित कर प्राप्त कर अनुवर्ती कारवाई की जायेगी। इसका उद्देश्य मनरेगा के साथ योजना का अभिसरण कर योजना का अधिकतम लाभ कृषकों को देना है।

10.2 योजना का अभिसरण विभाग की अन्य योजनाओं यथा– जलनिधि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई योजना), सिंचाई सुविधा की विस्तार की योजनाएँ, उद्यान विकास योजना, MIDH, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इत्यादि योजना से भी किया जायेगा। योजनाओं के अभिसरण का दायित्व संबंधित जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे) भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि सरंक्षण सर्वे एवं संबंधित पदाधिकारी का होगा।

52
16/08/2024

11.0 <u>ईच्छा की अभिव्यक्ति – Expression of Interest (EOI) एवं दर निर्धारण–</u>

11.1 इस योजनान्तर्गत वितरित किये जाने वाले सभी कृषि यंत्रों का मानक एवं आपूर्ति सक्षम स्तर से गठित तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित Expression of Interest (EOI) के आलोक में किया जायेगा।

11.2 सक्षम स्तर से गठित निविदा समिति द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) के माध्यम से निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता को सूचीबद्ध (Emplanelment) करते हुए न्यूनतम दर एवं अनुदान की राशि का निर्धारण किया जायेगा।

11.3 सूचीबद्ध किये गये निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं में से उनके द्वारा कोटेड न्यूनतम दर को आधार मानते हुए पम्पसेट वितरण हेतु उसका 90 प्रतिशत अर्थात 1.5–3.0 एच0पी0 एवं 200 फीट एच.डी.पी.ई. पाईप 63-75mm के लिये रू0–20000/– तथा 3.5–5.0 एच0पी0 एवं 200 फीट एच.डी.पी.ई. पाईप 63-75mm के लिये रु0–30000/– अधिकतम अनुदान देय होगा। सोलर पम्प सेट के वितरण पर 90 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम रु0 90,000/– (नब्बे हजार रुपये) अनुदान देय होगा।

11.4 छोटे कृषि उपकरण बैक की स्थापना हेतु कंडिका–3.4 में वर्णित कृषि यंत्रों के वितरण/आपूर्ति करने हेतु सूचीबद्ध (Empanellment) निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कोटेड न्यूनतम दर को आधार मानते हुए उसका 80% अनुदान (कुल अधिकतम पैकेज अनुदान रु0 500000/–रूपये) देय होगा। व्यक्तिगत कृषकों के लिये योजना लागत रु0 2.00 लाख का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु0 1.60 लाख अनुदान देय होगा।

11.5 इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) के द्वारा सूचीबद्ध निर्माता तथा उनके अधिकृत बिक्रेता ही आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्य होंगे। इस क्रम में यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि Empanelled संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में सूचीबद्ध किया गया हो।

11.6 इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) में दिये गये मेक एवं मॉडल से विचलन कर आपूर्ति करने या अमानक आपूर्ति करने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता सीधे जिम्मेवार होंगे एवं ऐसी स्थिति में उनके भुगतान पर रोक लगाने या काली सूची में दर्ज करने संबंधी कार्रवाई की जायेगी।

12.0 <u>अनुद्गान की राशि का भुगतान–</u> इस योजना के कार्यान्वयन में अनुदान की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से निम्नवत् हस्तांतरित किया जायेगा :-

12.1 (क) लाभुक समूह, लैम्पस–पैक्स या कृषक द्वारा स्वयं के व्यय पर पम्प सेट/मशीन/उपकरण इत्यादि का क्रय करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरण किया जायेगा। लाभुक समूह या कृषक द्वारा क्रय की रसीद, आधार संख्या एवं बचत बैंक खाता के विवरण के साथ अनुदान की राशि का दावा संबंधित जिले के भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा, जिसे संबंधित जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। दावा की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर अनुदान की राशि संबंधित लाभुक समूह या कृषक के बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।

या

(ख) बैंक ऋण के माध्यम से पम्प सेट/मशीन/उपकरण इत्यादि क्रय करने पर संबंधित बैंक को अनुदान की राशि का हस्तांतरण किया जायेगा। बैंक ऋण के मामले में लाभुक समूह या कृषक द्वारा द्वारा

52
16/08/2024

ऋण लिए जाने का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

या

(ग) लाभुक समूह या कृषक के लिखित अनुरोध पर निर्माता/निर्माता के अधिकृत बिक्रेता के माध्यम से पम्प सेट/मशीन/उपकरण इत्यादि क्रय करने पर संबंधित निर्माता/निर्माता के अधिकृत बिक्रेता के बैंक खाते में अनुदान की राशि का हस्तांतरण किया जायेगा। इसके लिए लाभुक समूह या कृषक द्वारा लिखित अनुरोध जिले के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। अधिकृत बिक्रेता की सूची निर्माता के माध्यम से प्राप्त कर ही संबंधित पदाधिकारी अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

13.0 <u>राशि की निकासी एवं भुगतान –</u>

13.1 निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची द्वारा पम्प सेट वितरण योजना की कुल राशि रु. 2000.00 लाख (बीस करोड़ रूपये) एवं छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतु कर्णांकित राशि रु. 2000.00 लाख (बीस करोड़ रूपये) अर्थात स्वीकृत कुल राशि रु. 4000.00 (चालीस करोड़ रूपये) की एक मुश्त निकासी कर व्ययन हेतु JAMTTC, राँची के पी0एल0 खाता में हस्तांतरित किया जायेगा।

13.2 पम्पसेट एंव 200 ft HDPE Pipe के वितरण के पश्चात, जेएएमटीटीसी, राँची के पी0 एल0 खाते से अनुदान की राशि के भुगतान हेतु लाभुक/निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा दावा की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर सभी कागजात/विपत्र, क्रय रसीद, मिनी ट्रैक्टर/पावर टीलर इत्यादि के साथ ग्रुप के सदस्यों का फोटोग्राफ एवं आधार संख्या संबंधित जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण के द्वारा भुगतान हेतु अपने प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची की अनुशंसा के पश्चात कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जेएएमटीटीसी, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा।

13.3 जेएएमटीटीसी, राँची के पी0एल0 खाते में जमा राशि से भुगतान हेतु लाभुक समूहों एवं कृषकों द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार पम्प सेट, मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, सहायक कृषि यंत्र, कृषि प्रसंस्करण यंत्र एवं राईस ट्रांसप्लांटर इत्यादि के क्रय किये जाने की सूचना दिये जाने के पश्चात क्रय रसीद, मिनी ट्रैक्टर/पावर टीलर इत्यादि के साथ ग्रुप के सदस्यों का फोटोग्राफ एवं आधार संख्या के साथ भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी के कार्यालय में दावा किया जायेगा। दावा की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर जिला के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण द्वारा जांच कर भुगतान हेतु अपने प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची की अनुशंसा के पश्चात अनुदान की राशि संबंधित को भुगतान या RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तांतरित करने हेतु विपत्र कार्यपालक निदेशक, (कृषि अभियंत्रण) जेएएमटीटीसी, रांची को उपलब्ध कराया जायेगा।

13.4 आकस्मिकता एवं जी0पी0एस0/आवश्यक मशीन उपकरण का क्रय/ छोटे कृषि उपकरण बैंक का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन हेतु विवरणी-2 के अनुसार रु0 146.00 लाख (एक करोड़ छियालीस लाख रुपये) कर्णांकित किया गया है। चयनित जिला के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण (सर्वे), पदाधिकारी को

योजना के अनुश्रवण, प्रचार, प्रसार, कृषि यंत्रों के वितरण कार्यक्रम के आयोजन ए वाहन/आकस्मिकता पर व्यय हेतु राशि रू. 1.00 लाख (एक लाख रुपये) या आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि दिया जा सकेगा।

13.5 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत कृषि यंत्र वितरण हेतु अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान की राशि रू0 300.00 लाख (तीन करोड़) को कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची द्वारा एक मुस्त निकासी कर NFSM के बैंक में खोले गये State Nodal Account (SNA) में स्थानांतरित किया जायेगा।

13.6 वित्तीय वर्ष 2021-22 से भारत सरकार के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति एवं अनुश्रवण हेतु Public Finance Management System (PFMS) की नयी प्रक्रिया आरम्भ की गई है, प्रासंगिक NFSM योजना के तहत PFMS की नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा-निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13.7 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत कृषि यंत्रों का निर्धारित न्यूनतम दर का अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान देय होगा। कृषि यंत्रों का न्यूनतम दर का 80 प्रतिशत की राशि से भारत सरकार द्वारा उस यंत्र के लिए प्रावधानित अनुदान की राशि को घटाते हुए अवशेष राशि का भुगतान अतिरिक्त राज्य सहायता अनुदान की राशि से देय होगा।

14.0 <u>पंचायती राज की भूमिका-</u> त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि (मुखिया,पंचायत समिति सदस्य पंचायत प्रमुख) के द्वारा योजना का अनुश्रवण किया जा सकेगा।

15.0 **<u>मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन -</u>**

15.1 संबंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी द्वारा अभिलेख एवं लेखा संधारण किया जायेगा। योजना का प्रगति-प्रतिवेदन भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी द्वारा जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग के माध्यम से निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची एवं कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जेएएमटीटीसी, राँची को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध कराया जायेगा।

15.2 योजना कार्यान्वयन के पश्चात वितरित यंत्रों का क्रम संख्या/वर्ष तथा जी0एस0टी0 कटौती के साक्ष्य (अभिश्रव के आधार पर) संबंधित पदाधिकारी एवं जेएएमटीटीसी, राँची के कार्यालय में संधारित करते हुए समेकित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

16.0 **<u>अनुश्रवण एवं सत्यापन -</u>**

16.1 पम्प सेट वितरण (HDPE Pipe सहित), सोलर पम्पसेट एवं छोटे कृषि उपकरण बैंक अन्तर्गत मिनी ट्रैक्टर/पावर टीलर इत्यादि के वितरण के पश्चात इस योजना का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

16.2 जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे, पदाधिकारी द्वारा यंत्रों की गुणवता/मानक एवं वितरण का भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यंत्रों की गुणवता/मानक में विचलन होने पर उक्त पदाधिकारी/आपूर्तिकर्ता सीधे जिम्मेवार होंगे।

52
16/08/2024

विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जेएएमटीटीसी, राँची या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची, उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राँची के द्वारा यंत्रों की गुणवता/मानक एवं वितरण का औचक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन भी किया जा सकेगा।

16.3 महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल, कृषक समूहों, लैम्पस-पैक्स एवं प्रगतिशील कृषकों को उपलब्ध कराये गये मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, सहायक कृषि यंत्र, कृषि प्रसंस्करण यंत्र एवं राईस ट्रांसप्लांटर इत्यादि की भौतिक सत्यापन गुणवता/मानक एवं योजना के फलाफल की जानकारी सुनिश्चित करने हेतु जी0पी0एस0 के अलावा तृतीय पक्ष से भी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया जा सकेगा, ताकि योजना पूर्णतः सफल हो सके।

16.4 लाभुक समूह या कृषक द्वारा यह भी घोषणा किया जायेगा कि तीन वित्तीय वर्षो तक पम्प सेट/मिनी ट्रैक्टर/पावर टीलर/रीपर/राईस ट्रांसप्लांटर या संबंधित अन्य कृषि यंत्रो को किसी अन्य को विक्रय/स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।

16.5 संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण)/उप निदेशक, भूमि संरक्षण/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी या विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी/गटित जांच दल के द्वारा सघन अनुश्रवण किया जा सकेगा।

16.6 इस योजनान्तर्गत लाभुकों की जिलावार सूची/लाभुकों का नाम, वितरित यंत्रों का क्रमांक/वर्ष को निदेशक कृषि/ निदेशक भूमि संरक्षण/कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जेएएमटीटीसी, राँची द्वारा संबंधित निदेशालय के वेबसाईट /विभागीय वेबसाईट/जेएएमटीटीसी, राँची के वेबसाईट www.jamttc.org पर अपलोड किया जायेगा।

17.0 सामान्य्य अनुदेश-

17.1 इस योजना में वितरित किये जाने वाले यंत्रों का GEO Taggaing रंगीन Photograph लेना सुनिश्चित किया जायेगा।

17.2 इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन विभाग द्वारा घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा वित्तीय नियमावली तथा कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों तथा अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।

17.3 योजना के कार्यान्वयन में निदेशक, कृषि झारखण्ड/निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) जेएएमटीटीसी, राँची के द्वारा वित्तीय नियमावली/कोषागार नियमावली/वित्तीय अनुदेश/परिपत्र से संबंधित सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची के द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति/निविदा से संबंधित सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17.4 जिला स्तरीय संबंधित सभी पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस राज्य योजनान्तर्गत व्यय, बजट उपबंध/आवंटित राशि के अन्तर्गत हो, किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना अंतर्गत वितरित किये जाने वाले कृषि यंत्र विभाग के किसी अन्य योजना (राज्य योजना या केन्द्र प्रायोजित याजना) से दोहरीकरण न हो तथा स्वीकृत्यादेश प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्त्तो का अक्षरशः सुदृढ्तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

52
16/08/2024

18 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना सं0–1269 दिनांक–21.09.2023 कंडिका–9.4 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा रही है।

19 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

20 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–03/कृ0रा0यो0–14/2022......52...... /कृ0, राँची, दिनांकः–..16.08.2024..

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–03/कृ0रा0यो0–14/2022......52...... /कृ0, राँची, दिनांकः–..16.08.2024..

प्रतिलिपिः– निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई–मेल आई0डी0– directorsoiljhr@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभगीय वेवसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की रही है।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–03/कृ0रा0यो0–14/2022......52...... /कृ0, राँची, दिनांकः–..16.08.2024..

प्रतिलिपिः– मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(योजना)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक कृषि, झारखण्ड, राँची/निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची/निदेशक, उद्यान, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक निदेशक (कृषि अभियंत्रण), जेएएमटीटीसी, राँची/संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/ सभी संयुक्त कृषि निदेशक/ उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैसमीन, झारखण्ड, राँची/सभी सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/सभी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सभी भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सभी भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल जिला कृषि पदाधिकारी/अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी विभगीय वेवसाईट/योजना एवं बजट शाखा–3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–03/कृ0रा0यो0–14/2022......52...... /कृ0, राँची, दिनांकः–..16.08.2024..

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–विशेष सचिव, झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

विवरणी–1

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजना अन्तर्गत पम्प सेट वितरण की योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

क्र0	जिला का नाम	भौतिक लक्ष्य			वित्तीय लक्ष्य राशि लाख में			कुल लक्ष्य	
		(1.5-3.0 Hp)	(3.5-5.0 Hp)	सोलर पम्पसेट (1.0 Hp)	(1.5-3.0 Hp)	(3.5-5.0 Hp)	सोलर पम्पसेट (1.0 Hp)	भौतिक	वित्तीय लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राँची	400	30	20	80.00	9.00	18.00	450.00	107.00
2	खूँटी	250	30	10	50.00	9.00	9.00	290.00	68.00
3	लोहरदगा	250	20	10	50.00	6.00	9.00	280.00	65.00
4	गुमला	300	20	10	60.00	6.00	9.00	330.00	75.00
5	सिमडेगा	200	20	10	40.00	6.00	9.00	230.00	55.00
6	पू0 सिंहभूम	400	20	20	80.00	6.00	18.00	440.00	104.00
7	सरायकेला–खरसांवा	400	30	30	80.00	9.00	27.00	460.00	116.00
8	प0 सिंहभूम	300	20	10	60.00	6.00	9.00	330.00	75.00
9	लातेहार	300	20	10	60.00	6.00	9.00	330.00	75.00
10	दुमका	600	30	20	120.00	9.00	18.00	650.00	147.00
11	साहेबगंज	450	100	20	90.00	30.00	18.00	570.00	138.00
12	पाकुड़	250	20	10	50.00	6.00	9.00	280.00	65.00
13	जामताड़ा	250	30	20	80.00	9.00	18.00	450.00	65.00
14	गोडडा (सुन्दर पहाड़ी एवं बोआरीजोर सहित)	150	30	10	50.00	9.00	9.00	290.00	45.00
	योग टी0एस0पी0	**4500**	**400**	**200**	**900.00**	**120.00**	**180.00**	**5100.00**	**1200.00**
1	पलामू	200	20	10	40.00	6.00	9.00	230.00	55.00
2	देवघर	400	80	50	80.00	24.00	45.00	530.00	149.00
3	गोड्डा	100	10	10	20.00	3.00	9.00	120.00	32.00
4	गढ़वा	150	20	10	30.00	6.00	9.00	180.00	45.00
5	हजारीबाग	150	20	10	30.00	6.00	9.00	180.00	45.00
6	रामगढ़	150	20	10	30.00	6.00	9.00	180.00	45.00
7	कोडरमा	150	20	10	30.00	6.00	9.00	180.00	45.00
8	चतरा	150	20	10	30.00	6.00	9.00	180.00	45.00
9	गिरिडीह	170	20	10	34.00	6.00	9.00	200.00	49.00
10	बोकारो	150	20	10	30.00	6.00	9.00	180.00	45.00
11	धनबाद	150	20	10	30.00	6.00	9.00	180.00	45.00
	योग ओ0एस0पी0	**1920**	**270**	**150**	**384.00**	**81.00**	**135.00**	**2340.00**	**600.00**
1	पलामू	130	10	5	26.00	3.00	4.50	145.00	33.50
2	देवघर	250	20	10	50.00	6.00	9.00	280.00	65.00
3	हजारीबाग	110	20	5	22.00	6.00	4.50	135.00	32.50
4	चतरा	150	10	5	30.00	3.00	4.50	165.00	37.50
5	गिरिडीह	120	10	5	24.00	3.00	4.50	135.00	31.50
	योग एस0सी0एस0पी0	**760**	**70**	**30**	**152.00**	**21.00**	**27.00**	**860.00**	**200.00**
	कुल योग टी0एस0पी0+ ओ0एस0पी0+एस0सी0एस0पी0	**7180**	**740**	**380**	**1436.00**	**222.00**	**342.00**	**8300.00**	**2000.00**

मो0 2000.00 लाख (बीस करोड़ लाख रु0) मात्र

52
16/08/2024

सरकार के सचिव

विवरणी–2

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजना अन्तर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, रीपर, राईस ट्रांसप्लांटर एवं अन्य कृषि यंत्रो के वितरण हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी–

क्र0	जिला का नाम	कृषक समूह पैकेज का भौतिक लक्ष्य (संख्या)	कृषक समूह पैकेज का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0)	कृषक पैकेज का भौतिक लक्ष्य (संख्या)	कृषक पैकेज का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0)	कुल भौतिक लक्ष्य (संख्या)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	राँची	20	100.00	10	16.00	30	116.00
02.	खूँटी	10	50.00	5	8.00	15	58.00
03.	लोहरदगा	10	50.00	5	8.00	15	58.00
04.	गुमला	10	50.00	5	8.00	15	58.00
05.	सिमडेगा	10	50.00	5	8.00	15	58.00
06.	पूर्वी सिंहभूम	12	60.00	5	8.00	17	68.00
07.	सरायकेला–खरसावां	20	100.00	10	16.00	30	116.00
08.	प0 सिंहभूम	10	50.00	5	8.00	15	58.00
09.	लातेहार	10	50.00	5	8.00	15	58.00
10.	दुमका	35	175.00	15	24.00	50	199.00
11.	साहेबगंज	20	100.00	10	16.00	30	116.00
12.	पाकुड़	10	50.00	5	8.00	15	58.00
13.	जामताड़ा	10	50.00	5	8.00	15	58.00
14.	गोड्डा	5	25.00	5	8.00	10	33.00
15.	आकस्मिकता, पर्यविक्षण एवं मूल्यांकन	0	80.00	0	8.00	0	88.00
	योग टी0एस0पी0	192	1040.00	95	160.00	287	1200.00
01.	पलामू	5	25.00	5	8.00	10	33.00
02.	देवघर	27	135.00	20	32.00	47	167.00
03.	गोड्डा	5	25.00	5	8.00	10	33.00
04.	गढ़वा	5	25.00	5	8.00	10	33.00
05.	हजारीबाग	15	75.00	15	24.00	30	99.00
06.	रामगढ़	5	25.00	5	8.00	10	33.00
07.	कोडरमा	5	25.00	5	8.00	10	33.00
08.	चतरा	5	25.00	5	8.00	10	33.00
09.	गिरिडीह	4	20.00	5	8.00	9	28.00
10	बोकारो	5	25.00	5	8.00	10	33.00
11	धनबाद	5	25.00	5	8.00	10	33.00
12	आकस्मिकता, पर्यविक्षण एवं मूल्यांकन	0	40.00	0	2.00	0	42.00
	योग ओ0एस0पी0	86	470.00	80	130.00	166	600.00
01.	पलामू	5	25.00	2	3.20	7	28.20
02.	देवघर	12	60.00	6	9.60	18	69.60
03.	हजारीबाग	4	20.00	3	4.80	7	24.80
04.	चतरा	5	25.00	2	3.20	7	28.20
05.	गिरिडीह	6	30.00	2	3.20	8	33.20
06	आकस्मिकता,पर्यविक्षण एवं मूल्यांकन	0	15.00	0	1.00	0	16.00
	योग एस0सी0एस0पी0	32	175.00	15	25.00	47	200.00
कुल योग टी0एस0पी0+ ओ0एस0पी0+एस0सी0एस0पी0		310	1685.00	190	315.00	500	2000.00

मो0 2000.00 लाख (बीस करोड़ लाख रु0) मात्र

52
16/08/2024

सरकार के सचिव

परिशिष्ट–1

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल, कृषक समूहों एवं प्रगतिशील कृषकों को अनुदान पर छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतु आवेदन–प्रपत्र।

आवेदक/ समूह के सचिव का फोटोग्राफ

1. आवेदक (स्वयं सहायता समूह/प्रगतिशील कृषक) का नाम :–
2. कृषक समूह/कृषक का पूर्ण पताः–

(क) ग्रामः– (ख) पंचायतः– (ग) थानाः–

(घ) प्रखण्डः– (च) जिला का नाम :– (छ) पिन कोडः–

3. कृषक के पिता/पति का नाम :–
4. कृषक समूह के सचिव का नामः–
5. कृषक समूह के अध्यक्ष का नाम :–
6. कृषक समूह के कोषाध्यक्ष का नाम :–
7. कृषक की जन्म तिथि/समूह के गठन का वर्ष :–
8. कृषक/समूह के सचिव का आधार कार्ड संख्या :–
9. कृषक समूह के सदस्यों की संख्या :–
10. कृषक समूह के गठन से संबंधित पूर्ण कागजात की प्रति (संलग्न किया जाय)
11. आवेदक का मोबाईल न0 :–
12. बैक से संबंधित विवरणी :–

बैंक का नाम :– बैंक शाखा का नाम :–

IFSC Code बैंक खाता संख्या :–

13. ईच्छित कृषि यंत्र का नाम जो पूर्व में नही लिया गया हो–

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त कृषि यंत्र पूर्व में अनुदान पर प्राप्त नहीं किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि अगले तीन वर्षो तक मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर एवं अन्य कृषि यंत्रों को किसी को विक्रय/स्थनान्तरित नहीं करूँगी/करूँगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रगतिशील कृषक/ समूह चयन के लिये सत्यापन/अनुशंसा

महिला स्वयं सहायता समूह/महिला सखी मंडल / कृषक समूह के सचिव/ प्रगतिशील कृषक श्री/सुश्री/श्रीमती ....पिता/पति..ग्राम .... प्रखण्ड .... जिला .... को विगत ....वर्ष से जानता हूँ जो कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उक्त कमांक –13 पर वर्णित कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर प्रदान करने हेतु सत्यापित/अनुशंसा किया जाता है।

मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/पंचायत प्रमुख/सक्षम पदाधिकारी

महिला स्वयं सहायता समूह/ कृषक समूह/प्रगतिशील कृषक के चयन के लिए अनुशंसा

कृषक समूह के सचिव/ प्रगतिशील कृषक श्री/सुश्री/श्रीमती ....पिता/पति...................... ....ग्राम .... प्रखण्ड .... जिला .... को विगत ....वर्ष से जानता हूँ जो कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उपर्युक्त कमांक–13 पर वर्णित कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर प्रदान करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

माननीय विधायक

परिशिष्ट–2

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल, कृषक समूहों एवं प्रगतिशील कृषकों को अनुदान पर छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना हेतु लाभुक का सत्यापन प्रपत्र।

1. महिला कृषक समूह/कृषक समूह/प्रगतिशील कृषक का नाम :–

2. महिला कृषक समूह/कृषक समूह/कृषक का पूर्ण पता

(क) ग्रामः–   (ख) पंचायतः–   (ग) थानाः–

(घ) प्रखण्डः–   (च) जिला :–   (छ) पिन कोडः–

आवेदक/ समूह का फोटोग्राफ

3. पेन कार्ड संख्या (यदि हो) संलग्न करे

(क) प्रगतिशील कृषक :–

(ख) कृषक समूह :–   (ग) समूह के सचिव

(घ) समूह के अध्यक्ष :–   (च) समूह के कोषाध्यक्ष/सदस्य :–

4. कृषक समूह/प्रगतिशील कृषक के पास खेती योग्य भूमि :–

5. ईच्छित कृषि यंत्र का नाम जो पूर्व में नही लिया गया हो–

1.   2.   3.   4.

5.   6.   7.   8.

6. कृषक समूह का विवरण :–

क्र0	नाम	पति/पिता का नाम	पदनाम	आधार सं0	मोबाईल सं0	हस्ताक्षर
1			अध्यक्ष			
2			सचिव			
3			कोषाध्यक्ष			
4			सदस्य			
5			सदस्य			
6			सदस्य			
7			सदस्य			
8			सदस्य			
9			सदस्य			
10			सदस्य			
11			सदस्य			
12			सदस्य			

इस योजना हेतु समूह के सदस्यों को अपने आधार सं0 एवं मोबाईल सं0 के उपयोग पर कोई आपत्ति नहीं है।

समूह के अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर/
आवेदक कृषक का हस्ताक्षर

स0भू0सं0पदा0/कनीय कृषि अभियंता/सहायक कृषि अभियंता/ क्षेत्र पर्यवेक्षक या प्राधिकृत कर्मी का सत्यापन एवं मंतव्य

उक्त लाभान्वित महिला स्वयं सहायता समूह/महिला सखी मण्डल/कृषक समूह/प्रगतिशील कृषक को पूर्व में कृषि विभाग द्वारा उपर्युक्त वर्णित एवं वांछित कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपर्युक्त नाम एवं पता का सत्यापन सही पाया गया है। आवेदक को कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वांछित कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की अनुशंसा की जाती है/निम्न कारणों से कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

सहायक कृषि अभियंता/कनीय कृषि अभियंता/स0भू0सं0पदा0/क्षेत्र पर्यवेक्षक
(विधिवत प्राधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर)